प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 28/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "ड्रॉफ्ट दूरसंचार टैरिफ(पैंसठवा संशोधन) आदेश, २०२० पर पहला ऑनलाइन खुला मंच चर्चा का आयोजन किया।

नई दिल्ली, ५ मई, २०२०: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज "डॉफ्ट दूरसंचार टैरिफ(पैंसठवा संशोधन) आदेश, २०२० पर पहला ऑनलाइन खुला मंच चर्चा का आयोजन किया है।

२. भादूविप्रा, भादूविप्रा अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय और कार्य करते समय पारदर्शिता के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विनियामक फ्रेमवर्क में अनिवार्य परविर्तन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने में सभी हितधारकों के साथ एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया को पूरा करता है। इस प्रक्रिया में भादूविप्रा द्वारा जारी परामर्श पत्र पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं और उसके बाद विषय पर एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया जाता है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों और भारत सरकार द्वारा अपेक्षित निरोधक उपायों, जिनमें भीड़ एकत्रित नहीं करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि शामिल हैं, को देखते हुए भादूविप्रा ने पहली बार ऑनलाइन खुला मंच चर्चा आयोजित करने का फैसला किया है। भादूविप्रा का प्रयास समाज के हितों की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करने का रहता है कि यह अधिनियम के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार अपने विनियामक कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी और किफायती ढंग से सकें।

3. खुला मंच चर्चा की सूचना २ मई, २०२० को जारी की जा चुकी है और भादूविप्रा को इसके लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिली है जो खुला मंच चर्चा के लिए पंजीकृत हितधारकों की संख्या से इंगित होती है। भादूविप्रा को उम्मीद है यह भादूविप्रा की कार्यप्रणाली में एक नया अध्याय की तरह साबित होगा ।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।